अंचल अधिकारी का न्यायालय मानगो, बी० पी० एल० ई० वाद संख्या– 02/2020–21

दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
21.9.2020	अभिलेख उपस्थापित किया गया। यह वाद से संबंधित क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने राजस्व कागजातों एवं स्थल का निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया हैं कि अतिक्रमणकारी ने अवैध रूप से अनावाद बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) की भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण किया गया हैं। अतिक्रमणकारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया हैं। अतिक्रमणकारी को सेक्सन– 3 के तहत् नोटिस निर्गत किया गया था। अतिक्रमणकारी अनुपस्थित हैं। अतिक्रमणकारी द्वारा किसी प्रकार का कारण पृच्छा दाखिल नहीं किये हैं। अतिक्रमणकारी के द्वारा संबंधित भूमि के स्वामित्व से संबंधित किसी प्रकार का वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अतिक्रमणकारी के पास कोई ऐसा साक्ष्य या कागजात नहीं हैं, जिसके आधार पर प्रमाणित हो कि मौजा– तुरियाबेड़ा, खाता नं0– 151, प्लॉट नं0– 246 a, रकवा– 20'X 20' भूमि पर अतिक्रमणकारी का स्वामित्व बनता हैं। वर्णित भूमि पर पक्का निर्माण कर लोक भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा हैं। अतिक्रमणकारी के द्वारा अतिक्रमित भूमि अनावाद बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) भूमि हैं तथा विहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अन्तर्गत बी० पी० एल० ई० एक्ट की धारा 2 में परिभाषित लोक भूमि के अन्तर्गत हैं। अतः सरकारी भूमि के रक्षार्थ वर्णित भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 6(2) के अनतर्गत अतिक्रमणकारी अरूण दास पिता अज्ञात सा0 तुरियाबेड़ा, थाना एम0 जी0 एम0 मानगो जमशेदपुर का अच्छेदन आदेश देता हूँ। अतिक्रमणकारी को बी0 पी0 एल0 ई0एक्ट के तहत् नोटिस करें कि उक्त वर्णित भूमि पर से अतिक्रमणकारी पन्द्रह दिनों के अन्दर अतिक्रमण हटा लें। अन्यथा बल पूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा एवं उस पर की गई खर्च अतिक्रमणकारी से वसूली जाएगी। विहित प्रपत्र में सूचना निर्गत करें। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता बी0 पी0 एल0 ई0 एक्ट के अन्तर्गत सह अंचल अधिकारी मानगो समाहर्त्ता बी0 पी0 एल0 ई0 एक्ट के अन्तर्गत सह अंचल अधिकारी मानगो	

Scanned by CamScanner